राजस्व न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर वोर्ड केम्प सागर म0प्र0

पुनरीक्षण क0– /

कृष्णपाल सिंह आत्मज साहब सिंह जाति कुशवाहा राजपूत आयु करीब– 27 वर्ष निवासी ग्राम मानकी सलैया तहसील राहतगढ़ जिला सागर म0प्र0

.......................पुनरीक्षणकर्ता /आवेदक

....बनाम...

1–श्रीमति चन्द्रवति वाई परित्याक्ता पत्नि स्व0 श्री रामपाल सिंह पुत्री संतोष सिंह आयु करीब– वर्ष विक्षिप्त(मानसिक रोगी) संरक्षक पिता स्वयं संतोष सिंह व मिंटू सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति महोबिया राजपूत निवासी ग्राम खिरिया काजी तहसील राहतगढ़ जिला सागर म0प्र0 ।

2–म0प्र0 राज्य ....उत्तरवादीगण / अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0स0

पुनरीक्षणग्रस्त आदेश दिनांक–8 / 11 / 2016 राजस्व प्रकरण क0–अपील–31–अ–6 / 2015 – 16 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय राहतगढ़ जिला सागर द्वारा पारित से प्रभावित एवं दुखित होकर।

/ /पुनरीक्षण सारांश/ /

यह कि उक्त प्रस्तुत पुनरीक्षण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मानकी सलैया प0ह0न0–22 राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील राहतगढ़ जिला सागर में ख0क0–28 रकबा–121 हे0 लगान् 3.00 राजस्व अभिलेख में रामपाल सिंह पिता साहबसिंह के नाम दर्ज है और रामपालसिंह की मृत्यू दिनांक–27 / 1 / 2014 को हो जाने से मूल राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार राहतगढ़ के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र कृष्णपाल सिह एवं चन्द्रवति की ओर से वास्ते उसके भाई मिन्टू सिंह की ओर से प्रस्तुत किये गये।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-460-एक/2017 जिला-सागर

कृष्णपाल सिंह विरूद्ध श्रीमती चन्द्रवति बाई व म.प्र.राज्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) राहतगढ़, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक अपील-31/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	